न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 56/2024

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र लिछमण जाति सुथार निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र लिछमण जाति सुथार निवासी थालडत्रका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 14/3/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2020 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्से पर काबिज है तथा पूर्वजों ने वादग्रस्त भूमि बाबत बंटवारा कर रखा है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि को काश्त करते आ रहे है मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है जो कि निम्न प्रकार से है–

रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी अकेला खातेदार रहेगा एवं रोही मौजा 15 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के प0न0 229/389 मु0न0 10 के किला न0 10 व 11 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.5060 हैक्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी एवं शेष भूमि वादी के पास रहेगी।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक बंटवारा खाता व लगान अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री [illegible] वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को काई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा 15 आरडब्लूडी खाता संख्या 7/7, 46/40 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा हो चुका है मुताबिक बाहमी राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2020 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक बाहमी राजीनामा वाद भूमि का खाता व लगाान अलग किया जावे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2020 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के प0न0 229/389 मु0न0 10 के किला न0 10 व 11 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 56/2024

अनवान : –

1. कृष्ण पुत्र लिछमण जाति सुथार निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र लिछमण जाति सुथार निवासी थालडत्रका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 37 सन 2024 निर्णय दिनांक – 14/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 की कुल 1.2020 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 46/40 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 15 आरडब्लयूडी तहसील नोहर के खाता संख्या 7/7 के प0न0 229/389 मु0न0 10 के किला न0 10 व 11 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.5060 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष भूमि वादी के नाम यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:34:34 IST
Reason: SelfAttested